

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 सितम्बर 2014—भाद्र 31, शक 1936

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. एफ-35-71-2013-दो-सी-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जवानों की भरती और सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

भाग—एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (भरती और सेवा की शर्तें) नियम, 2014 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, महानिदेशक, नगर सेना और सिविल प्रतिरक्षा, मध्यप्रदेश;

(ख) “समिति” से अभिप्रेत है, महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक, पुलिस/ नगर सेना और सिविल प्रतिरक्षा विभाग के समकक्ष श्रेणी के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में महानिदेशक, नगर सेना और सिविल प्रतिरक्षा द्वारा गठित भरती/ प्रतिनियुक्ति समिति;

- (ग) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता के अधीन राज्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति;
- (घ) "बल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल;
- (ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश का राज्यपाल;
- (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कि कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कि कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (ट) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण;

3. "प्रयुक्ति".—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम बल के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. "बल का गठन".—बल में निम्नलिखित व्यक्ति अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

- (क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
- (ख) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व बल में भरती किये गये व्यक्ति; और
- (ग) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार बल में भरती किये गये व्यक्ति.

5. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान इत्यादि.—(1) बल में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान, वर्गीकरण अनुसूची-एक के अनुसार होगा.

(2) बल के सदस्य, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार समयमान वेतनमान के पात्र होंगे.

भाग-दो

भरती

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् बल में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी:—

- (क) प्रतिनियुक्ति पर (मध्यप्रदेश पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा, जो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के कौशल में प्रशिक्षित हों); और
- (ख) संविदा भरती द्वारा.

(2) भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी.

(3) समिति में, नगर सेना तथा सिविल प्रतिरक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी समाविष्ट होंगे :—

(क)	पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक/ समकक्ष रैंक का बल का कोई अन्य अधिकारी	—	अध्यक्ष
(ख)	बल का संभागीय कमाण्डेंट	—	सदस्य
(ग)	बल का जिला कमाण्डेंट	—	सदस्य सचिव

(4) महानिदेशक, नगर सेना तथा सिविल प्रतिरक्षा के पूर्व अनुमोदन से समिति को बल के सदस्यों की भरती/ प्रतिनियुक्ति के तरीके के निर्धारण का अधिकार होगा.

(5) आपदा आवश्यकता की दशा में बल, अन्य विभाग के नियमित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिए उनकी सहमति के आधार पर, ले सकेगा.

7. **आरक्षण.**—(1) निःशक्तजनों का आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अनुसार होगा.

8. **संविदा नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् बल में समस्त नियुक्तियां समिति द्वारा की जाएंगी तथा प्रत्येक नियुक्ति या तो सीधे संविदा भरती के तरीके से या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी. संविदा नियुक्ति पर चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

**आयु.**—(एक) चयन के समय उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं 45 वर्ष से अधिक का न हो (जैसा कि अनुसूची-तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है).

(दो) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.

**शैक्षणिक अर्हता.**—(तीन) अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

(चार) भूतपूर्व सैनिक रहे अभ्यर्थी को उसके द्वारा की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने को अनुमत किया जाएगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(पांच) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए—

(क) सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन “अच्छा” या उससे उच्च कोटि का रहा हो;

(ख) उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसका आचरण कभी भी संदिग्ध न पाया गया हो;

(ग) उसकी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान उसे दण्डित नहीं किया गया हो;

(घ) उसका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो;

- (ड) उसकी संविदा नियुक्ति उसके 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् निरंतर नहीं की जाएगी;
- (च) उसे समेकित वेतन प्रदान किया जाएगा. समेकित वेतन का निर्धारण करने के लिये पेंशन की राशि को उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम वेतन में से घटाया जाएगा तथा शेष राशि का उसे भुगतान किया जाएगा. संविदा वेतन पर मंहगाई भत्ते या किसी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा.
- (छह) संविदा सेवा के लिए समेकित वेतन का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासकीय सेवक को अनुज्ञेय कोई अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी.
- (सात) उसे संविदा पर नियुक्ति की पात्रता अनुसार गृह भाड़ा भत्ते का भुगतान किया जाएगा.
- (आठ) नियमानुसार यात्रा भत्ता अनुज्ञेय होगा.
- (नौ) संविदा नियुक्ति दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की सूचना देकर या उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी.
- (दस) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे.
- (ग्यारह) संविदा नियुक्ति अनुसूची—एक तथा अनुसूची—दो में दर्शित पदों के लिए होगी. संविदा पर नियुक्त सभी व्यक्तियों को अनुसूची—तीन के कालम (5) में दर्शित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करना होगा.
- (बारह) शासकीय सेवकों के अलावा संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुसूची—चार में यथादर्शित समेकित वेतन का भुगतान किया जाएगा.
- (तेरह) अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, समिति द्वारा महानिदेशक, नगर सेना तथा सिविल प्रतिरक्षा की अनुशंसा पर की जाएगी.
- (चौदह) राजपत्रित अधिकारियों की संविदा नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी.
- (पंद्रह) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को नियत भुगतान अनुसूची—चार में ऐसे पद के सामने दर्शित किए गए अनुसार होगा.
- (सोलह) सीधी भरती के रूप में प्रथम संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी. तीन वर्ष पूरे होने के उपरांत समिति, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की दक्षता का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी:
- परन्तु पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् कोई संविदा नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी.
- (सत्रह) यदि, तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि की पूर्णता के पश्चात् संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो महानिदेशक, नगर सेना तथा सिविल प्रतिरक्षा, समिति की अनुशंसा पर, ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा.
- (अठारह) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके अधिकारियों/ कर्मचारियों से संविदा आधार पर पद के भरे जाने के लिए मानक निम्नानुसार होंगे:—
- (क) लिपिकीय संवर्ग के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी;
- (ख) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे;
- (ग) ऐसे कर्मचारियों को समेकित वेतन का भुगतान किया जाएगा;

- (घ) किसी सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी के नियत वेतन की गणना करने के लिये पेंशन की राशि को संविदा वेतन में से घटाया जाएगा तथा उस पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा;
- (ङ) ऐसे कर्मचारी शासकीय आवास के हकदार नहीं होंगे;
- (च) वह संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय अवकाश का हकदार होगा;
- (छ) उसे उसी रीति में यात्रा व्यय अनुज्ञेय होगा जैसा कि वह अपनी अधिवाषिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व प्राप्त कर रहा था;
- (ज) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध लागू होंगे;
- (झ) संविदा आधार पर नियुक्ति का आदेश 45 दिनों तक विधिमान्य होगा, यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो वह निरस्त हो जाएगा.

9. प्रतिनियुक्ति पर भरती.—(1) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी से सहमति प्राप्त होने पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभिन्न पदों पर भरती की जाएगी.

(2) अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए.

(3) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जो कि वह उसके मूल विभाग में प्राप्त कर रहा था.

10. प्रतिनियुक्ति के लिए मानक.—(1) बल के लिए भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी, जैसे कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे. मध्यप्रदेश संवर्ग में पुलिस महानिदेशक/पुलिस उप महानिदेशक की रैंक के अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में केन्द्र सरकार/सेना के ऐसे अनुभवी अधिकारियों को, जिन्हें कि आपदा प्रबंधन कार्य का अनुभव हो, प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा.

(2) बल में पदों को नगर सेना, पुलिस की विभिन्न इकाइयों, केन्द्रीय पुलिस संगठन, सेना या सरकार के संबद्ध विभागों के पात्र तथा अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा.

(3) शारीरिक योग्यता तथा मानदण्डों की न्यूनतम कसौटी को पूरा करने वाले नगर सैनिकों को 5 वर्ष कालावधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा.

(4) इस कालावधि के दौरान नगर सैनिक को एक शारीरिक दक्षता परीक्षा/चिकित्सीय परीक्षण से होकर गुजरना होगा तथा उसे उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसे बल में बने रहने दिया जाएगा, उसमें अनुत्तीर्ण रहने की दशा में उसे उसकी मूल इकाई में संप्रत्यावर्तित किया जा सकता है.

(5) नगर सैनिक को, यदि वह अपात्र पाया जाता है, प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है, सौंपे गए कार्य की उपेक्षा करता है, शारीरिक रूप से अक्षम है, अनुशासनहीन है अथवा किसी अन्य कारण से जो कि उसे बल में बने रहने के अयोग्य बनाते हों, उसके मूल विभाग में संप्रत्यावर्तित किया जा सकता है.

(6) प्रतिनियुक्ति पर लेने अथवा संप्रत्यावर्तन का निर्णय प्रतिनियुक्ति समिति की अनुशंसा पर महानिदेशक, नगर सेना तथा सिविल प्रभरिक्षा द्वारा लिया जाएगा.

(7) नगर सैनिकों तथा कंपनी कमाण्डर अथवा मध्यप्रदेश पुलिस के समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार इस निमित्त गठित समिति द्वारा की जाएगी.

(8) नगर सेना तथा मध्यप्रदेश पुलिस से भिन्न अन्य विभागों अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का विनिश्चय इस निमित्त नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार गठित भरती/प्रतिनियुक्ति समिति की अनुशंसा पर, महानिदेशक, नगर सेना द्वारा लिया जाएगा.

(9) निम्नलिखित विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना के लिए पात्रता मानदण्डों में, इस निमित्त नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार गठित भरती/प्रतिनियुक्ति समिति की अनुशंसा पर महानिदेशक, होमगार्ड तथा सिविल प्रतारिक्षा द्वारा, छूट प्रदान की जा सकती है :-

- (क) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में आपदा प्रबंधन में अनुदेशक के रूप में काम किया हो या किसी अन्य अर्द्धसैनिक बल के कमाण्डो.
- (ख) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो उत्कृष्ट योग्यता वाले हों तथा तैराकी या आपदा प्रबंधन, बाढ़ बचाव अभियानों आदि में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हों.

11. **550 नगर सैनिकों के चयन के लिए पात्रता तथा प्रक्रिया.**—(1) नगर सैनिकों के लिए आयु 30 वर्ष होगी. यदि 30 वर्ष के भीतर की आयु के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो पहली और अंतिम बार 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी :

परन्तु आयु सीमा में यह छूट दोबारा कभी प्रदान नहीं की जाएगी.

(2) प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए नगर सैनिक का उत्कृष्ट सेवा वृत्त होना अनिवार्य है. इस प्रयोजन के लिए, संपूर्ण सेवा वृत्त, प्राप्त पुरस्कार/दण्ड, वार्षिक अभ्युक्तियां आदि की संवीक्षा की जाएगी.

(3) विशेष योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो कि इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट तौर पर प्रशिक्षित हैं, आवश्यकतानुसार, प्रतिनियुक्ति समिति की अनुशंसाओं पर, महानिदेशक, नगर सेना तथा सिविल प्रतारिक्षा द्वारा आयु में छूट दी जा सकेगी.

(4) **शारीरिक दक्षता परीक्षा.**—नगर सैनिक को नीचे दिए गए अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अर्थात् :-

सरल क्रमांक	परीक्षा	चयन हेतु न्यूनतम मानदण्ड	
		पुरुष	महिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	800 मीटर दौड़	साढ़े तीन मिनट	साढ़े चार मिनट
2	चिन-अप	4	-
3	पुश-अप	20	20

(5) ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी को, जो प्रतिनियुक्ति पर बल में सम्मिलित होना चाहते हैं, आपदा प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों का जैसे कि तैराकी, गोताखोरी, नाव चालन, अग्निशमन, पर्वतारोहण, पैरा जंपिंग, प्रथमोपचार या अन्य कौशल जैसे विद्युत् कर्म बढई गिरी, लौह कर्म आदि का ज्ञान होना आवश्यक है. जहां उसके पास उपरोक्त वर्णित विशिष्ट ज्ञान नहीं है तो वह खिलाड़ी होना चाहिए, जिससे कि उसमें आपदा प्रबंधन कौशल का विकास हो सके.

**टीप.**—(1) उन अभ्यर्थियों पर भी, जिनके पास उपनियम (5) के अनुसार, अपेक्षित विशेष अर्हताएं नहीं है परन्तु जिनका उत्कृष्ट सेवा वृत्त है, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा. ऐसे अभ्यर्थियों को बाद में आपदा प्रबंधन कौशल का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा. तथापि, यदि उनमें से कोई उक्त कौशल को ग्रहण करने में असमर्थ हो तो वह उसके मूल विभाग को संप्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा.

(2) उस दशा में जहां कि अपेक्षित संख्या से अधिक नगर सैनिक उपलब्ध हैं. चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास ऊपर उपनियम (5) में यथावर्णित विशेष कौशल है.

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए नगर सैनिक से आशय नगर सेना विभाग के स्वयं सेवी सैनिक, लांस नायक, नायक एवं हेड कांस्टेबल से है.

12. **निरहता.**—मध्यप्रदेश सेवा की सामान्य शर्तें नियम, 1961 के उपबंध निरहता के लिए अभ्यर्थी को लागू होंगे.

13. **चयन के लिए प्रक्रिया.**—(1) चयन समिति, पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक/ बल के समकक्ष श्रेणी के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाएगी. अभ्यर्थियों की सहमति लेने के पश्चात् उपयुक्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों की जांच की जाएगी और शारीरिक दक्षता परीक्षण के साथ-साथ विशेष योग्यता परीक्षण किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता का सत्यापन किया जाएगा. परिणाम का अनुमोदन बल के मुख्यालय द्वारा किया जाएगा और एक विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक, नगर सेना और सिविल प्रतिरक्षा को प्रस्तुत की जाएगी.

(2) अनुसूची-तीन की मद संख्या 13 से 17 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं लिपिकवर्गीय, कर्मचारीवृंद के लिए आवश्यक होगी.

(3) वाहन चालकों के पास हल्का, मध्यम और भारी वाहन चालन अनुज्ञापत्र होना अनिवार्य होगा और उसे सरकार के अथवा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्रायविंग और मेकेनिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.

### भाग-तीन

#### प्रशिक्षण एवं विशेष जोखिम भत्ते

14. **अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण.**—बल में नियुक्ति के पश्चात् निम्नलिखित प्रशिक्षण अनिवार्य होगा (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद को छोड़कर):—

नगर सैनिक हेतु—(क) किसी आपदा के प्रबंधन के लिए अपेक्षित कौशल को प्राप्त करने के लिए नगर सैनिकों को आपदा प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. नगर सैनिकों को आपदा प्रबंधन, बचाव उपकरणों के प्रचालन और कौशल और प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नगर सेना, मंगेली, जिला जबलपुर में या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या सीमा सुरक्षा बल आदि के किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान में दिया जाएगा.

(ख) अन्य अधिकारी/ कर्मचारी (लिपिकवर्गीय कर्मचारीवृंद को छोड़कर)— अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रथम चरण में नगर सेना और सिविल प्रतिरक्षा विभाग के अधीन पंद्रह दिनों का विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. अधिकारियों/ कर्मचारियों को द्वितीय चरण में आपदा प्रबंधन संस्थान, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा या केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सीमा सुरक्षा बल या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

15. **विशेष जोखिम भत्ते का भुगतान.**—प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी नीचे दिए गए अनुसार विशेष जोखिम भत्ते के पात्र होंगे :—

(क) नगर सैनिक, समय-समय पर उन्हें भुगतान किए गए कुल पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत, विशेष जोखिम भत्ते के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे. नगर सैनिकों को इस भत्ते का भुगतान नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार अपेक्षित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् किया जाएगा.

(ख) प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद को छोड़कर) को निम्नलिखित दो चरणों में प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् विशेष जोखिम भत्ता दिया जाएगा :—

(एक) दस प्रतिशत की दर से विशेष भत्ते का भुगतान प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् किया जाएगा और उक्त भत्ते के 15 प्रतिशत का भुगतान अधिकारियों / कर्मचारियों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् किया जाएगा.

- (दो) विशेष भते का भुगतान केवल ऐसे कार्यपालक अधिकारियों/ कर्मचारियों को किया जाएगा, जो या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर कार्य कर रहे हैं. लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद इस विशेष भते के पात्र नहीं होंगे.

### भाग—चार

#### सेवा की अन्य शर्तें

16. **सेवा में आचरण एवं अनुशासन.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 बल के अधिकारियों/ कर्मचारियों को लागू होंगे.

17. **अनुशासनिक एवं अपीली प्राधिकारी.**—समिति का अध्यक्ष मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के उपबंधों के अनुसार बल के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा.

18. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह कार्यपालक समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

19. **व्यावृत्ति**—इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को लागू आरक्षण एवं अन्य शर्तों को, जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किए गये आदेशों, परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं आदि में उपबंधित हों, को प्रभावित नहीं करेगी.

20. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले का जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में, जो कि उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, निपटारे करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु मामला किसी ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि उसके लिए इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो.

### अनुसूची—एक

#### (नियम 5 देखिए)

#### वर्गीकरण, वेतनमान और बल की संरचना

(क) राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एस.डी.ई.आर.एफ.) मुख्यालय एवं स्टेट कमाण्ड सेंटर :—

अनु- क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड-पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	01	भा.पु.से.	67000—79000	-
2.	पुलिस महानिरीक्षक/ उप पुलिस महानिरीक्षक/ उस श्रेणी के समकक्ष कोई अन्य अधिकारी.	01	भा.पु.से.	37400—67000	10000
3.	संभागीय सेनानी/ उस श्रेणी के समकक्ष कोई अन्य अधिकारी.	01	प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी	15600—39100	7600



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	जिला सेनानी/ उस श्रेणी के समकक्ष कोई अन्य अधिकारी.	01	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी	15600—39100	5400
5.	मेडिकल अधिकारी	01	—तदैव—	15600—39100	5400
6.	तकनीकी विशेषज्ञ	02	—तदैव—	15600—39100	6600
7.	कंपनी कमाण्डर/ उस श्रेणी के समकक्ष कोई अन्य अधिकारी.	02	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4200
8.	प्लाटून कमाण्डर/ उस श्रेणी के समकक्ष कोई अन्य अधिकारी.	04	—तदैव—	9300—34800	3600
9.	प्रधान आरक्षक/ उस श्रेणी के समकक्ष कोई अन्य अधिकारी.	08	कार्यपालिक तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
10.	तकनीकी सहायक	01	—तदैव—	5200—20200	1900
11.	पुरुष नर्स	01	—तदैव—	5200—20200	1900
12.	वाहन चालक	08	—तदैव—	5200—20200	1900
13.	हेड क्लर्क	01	तृतीय श्रेणी	5200—20200	3200
14.	लेखाकार (ग्रेड-2)	01	—तदैव—	5200—20200	2400
15.	स्टेनो	03	—तदैव—	5200—20200	2800
16.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-कार्यालय सहायक (ग्रेड-2).	01	—तदैव—	5200—20200	2100
17.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-कार्यालय सहायक (ग्रेड-3).	04	—तदैव—	5200—20200	1900
18.	भृत्य/ दफ्तरी	03	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440	1300
योग . . 44					

(ख) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर की जिला इकाइयां :—

अनु- क्रमांक (1)	पदनाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	ग्रेड-पे (6)
1.	जिला सेनानी/ समकक्ष	04	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी	15600—39100	5400
2.	कंपनी कमाण्डर/ समकक्ष	04	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	प्लाटून कमाण्डर समकक्ष	16	तृतीय श्रेणी	9300—34800	3600
4.	प्रधान आरक्षक/ समकक्ष	24	कार्यपालिक तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
5.	तकनीकी सहायक	08	—तदैव—	5200—20200	1900
6.	पुरुष नर्स	04	—तदैव—	5200—20200	1900
7.	वाहन चालक	16	—तदैव—	5200—20200	1900
8.	स्टेनो	04	लिपिकवर्गीय तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800
9.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-कार्यालय सहायक (ग्रेड-3).	08	—तदैव—	5200—20200	1900
योग : 88					

### अनुसूची—दो

अधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/ संविदा भरती द्वारा नियुक्ति का तरीका

अनुक्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड-पे	भरती संवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	भा.पु.से.	67000—79000	—	आई.पी.एस. संवर्ग से
2.	पुलिस महानिरीक्षक/ उप पुलिस महानिरीक्षक / समकक्ष.	भा.पु.से.	37400—67000	10000	आई.पी.एस. संवर्ग/ केन्द्रीय पुलिस बल से प्रतिनियुक्ति पर.
3.	संभागीय सेनानी/ समकक्ष	प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी	15600—39100	7600	होमगार्ड तथा सिविल प्रतिकक्षा विभाग/ पुलिस विभाग के अन्तर्गत विशेष सशस्त्र बल/ जिला पुलिस बल अथवा केन्द्रीय बल से प्रतिनियुक्ति पर.
4.	जिला सेनानी अथवा समकक्ष	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी	15600—39100	5400	—तदैव—
5.	मेडिकल आफिसर	—तदैव—	15600—39100	5400	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	तकनीकी विशेषज्ञ	—तदैव—	15600—39100	6600	लोक निर्माण विभाग अथवा किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर.
7.	कंपनी कमाण्डर/ समकक्ष	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4200	होमगार्ड तथा सिविल प्रतिरक्षा विभाग/ पुलिस विभाग के अन्तर्गत विशेष सशस्त्र बल/ जिला पुलिस बल अथवा केन्द्रीय बल से प्रतिनियुक्ति पर.
8.	प्लाटून कमाण्डर/ समकक्ष	तृतीय श्रेणी	9300—34800	3600	—तदैव—
9.	प्रधान आरक्षक/ समकक्ष	कार्यपालिक तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400	—तदैव—
10.	तकनीकी सहायक	—तदैव—	5200—20200	1900	लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर.
11.	पुरुष नर्स	—तदैव—	5200—20200	1900	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर.
12.	वाहन चालक	—तदैव—	5200—20200	1900	होमगार्ड तथा सिविल प्रतिरक्षा विभाग/ पुलिस विभाग के अन्तर्गत विशेष सशस्त्र बल/ जिला पुलिस बल अथवा केन्द्रीय बल से प्रतिनियुक्ति पर.
13.	हेड क्लर्क	लिपिकवर्गीय तृतीय श्रेणी	5200—20200	3200	—तदैव—
14.	लेखापाल ग्रेड-2	—तदैव—	5200—20200	2400	—तदैव—
15.	स्टेनो	—तदैव—	5200—20200	2800	—तदैव—
16.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह- कार्यालय सहायक (ग्रेड-2)	—तदैव—	5200—20200	2100	—तदैव—
17.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह- कार्यालय सहायक (ग्रेड-3)	—तदैव—	5200—20200	1900	—तदैव—
18.	भृत्य/ दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440	1300	—तदैव—

अनुसूची—तीन  
प्रतिनियुक्ति/ संविदा हेतु आयु तथा अर्हताएं

अनुक्रमांक	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	-	-	-	-
2.	पुलिस महानिरीक्षक/ उप पुलिस महानिरीक्षक/ समकक्ष	-	-	-	-
3.	संभागीय सेनानी/ समकक्ष	21	-	-	-
4.	जिला सेनानी या समकक्ष	21	-	-	-
5.	मेडिकल आफिसर	21	-	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि. 2. म.प्र. चिकित्सा परिषद् में वैध पंजीयन.	संविदा नियुक्ति पर
6.	तकनीकी विशेषज्ञ	21	-	1. बी.ई. की उपाधि सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियर को प्राथमिकता. 2. शासकीय/ गैर शासकीय संस्था में 5 वर्ष का अनुभव.	संविदा नियुक्ति पर
7.	कम्पनी कमाण्डर/ समकक्ष	21	-		प्रतिनियुक्ति पर
8.	प्लाटून कमाण्डर/ समकक्ष	21	-		प्रतिनियुक्ति पर
9.	प्रधान आरक्षक/ समकक्ष	21	-		प्रतिनियुक्ति पर
10.	तकनीकी सहायक	21	-	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष. 2. सिविल/ इलेक्ट्रिकल्स/ मैकेनिकल के क्षेत्र में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव या संविदा पदों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार.	संविदा नियुक्ति पर
11.	पुरुष नर्स	21	-	मान्यता प्राप्त संस्था से— 1. बी.एस.सी. नर्सिंग अथवा 2. मध्यप्रदेश नर्सेस काउन्सिल से जीएनएम में उपाधि 3. शासकीय/ गैर शासकीय/ अस्पताल कार्य का अनुभव	संविदा नियुक्ति पर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	वाहन चालक	21	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य.</li> <li>2. विधिमान्य वाहन चालन अनुज्ञसिधारक होना अनिवार्य है.</li> <li>3. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में भारी वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या संविदा पदों के लिए अधिकथित शर्तों के अनुसार.</li> </ol>	संविदा नियुक्ति पर
13.	हेड क्लर्क	21	-	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग से हेड क्लर्क अथवा उसके समकक्ष पद से सेवानिवृत्त.	65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सेवा में रखा जा सकेगा.
14.	लेखापाल ग्रेड-2	21	-	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग से लेखापाल अथवा उसके समकक्ष पद से सेवानिवृत्त.	65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सेवा में रखा जा सकेगा.
15.	स्टेनो	21	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य.</li> <li>2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से या मध्यप्रदेश के किसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से या पॉलीटेक्निक से या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन की परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो.</li> </ol>	संविदा नियुक्ति पर
16.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-कार्यालय सहायक ग्रेड-2	21	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक.</li> <li>2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से या मध्यप्रदेश के किसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से हिन्दी एवं अग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</li> <li>3. कम्प्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव.</li> </ol>	संविदा नियुक्ति पर
17.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-कार्यालय सहायक ग्रेड-3	21	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य.</li> </ol>	संविदा नियुक्ति पर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से या मध्यप्रदेश के किसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से या पॉलीटेक्निक से या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन की परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो.	
				3. कम्प्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव.	
18.	भृत्य/ दफ्तरी	21	-	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण. 2. एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव.	संविदा नियुक्ति पर

### अनुसूची—चार

बल के उन संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नियत वेतन जिन्होंने अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर ली है

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	नियत भुगतान (3)
1.	मेडिकल आफिसर	50,000
2.	तकनीकी विशेषज्ञ	50,000
3.	तकनीकी सहायक	25,000
4.	पुरुष नर्स	25,000
5.	वाहन चालक	15,000
6.	हेड क्लर्क	20,000
7.	लेखापाल ग्रेड-2	18,000
8.	स्टेनो	18,000
9.	कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-कार्यालय सहायक ग्रेड-2	18,000
10.	कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-कार्यालय सहायक ग्रेड-3	15,000
11.	भृत्य/ दफ्तरी	10,000

No. F. 35-71-2013-II-C-2.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the rules relating to the recruitment and conditions of service of officers and employees of the Madhya Pradesh State Disaster Emergency Response Force, namely :—

## RULES

### PART-I PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Disaster Emergency Response Force (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Appointing Authority" means the Director General, Home Guards and Civil Defence, Madhya Pradesh;
- (b) "Committee" means the Recruitment/Deputation Committee constituted by the Director General, Home Guards and Civil Defence, Madhya Pradesh under the Chairmanship of the Inspector General/Deputy Inspector General of Police/an officer of the Home Guard and Civil Defence Department of equivalent rank;
- (c) "Executive Committee" means the Executive Committee of the State Authority under the Chairmanship of the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Force" means the Madhya Pradesh State Disaster Emergency Response Force;
- (e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (g) "Other Backward Classes" means the Backward Classes of citizens as specified by the Government vide Notification No. F-8-5-twenty five-4-84, dated 26-12-1984 as amended from time to time;
- (h) "Scheduled Castes" means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (i) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of a group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (j) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (k) "State Authority" means the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority.

3. **Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the Force.

4. **Constitution of Force.**—The Force shall consist of the following persons, namely :—

- (a) persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity, the posts specified in Schedule-I;
- (b) persons recruited to the Force before the commencement of these rules; and
- (c) persons recruited to the Force in accordance with the provisions of these rules.

5. **Number of posts, classification and pay scale etc.**— (1) Classification, pay scale and number of posts included in the Force shall be in accordance with the Schedule-I.

(2) The members of the Force shall be eligible for time pay scale in accordance with the circulars issued from time to time by the Finance Department of the Government.

## PART-II RECRUITMENT

6. **Method of recruitment.**—(1) After the commencement of these rules, the mode of recruitment in the Force shall be as follows :—

- (a) on deputation (by transfer of officers/employees appointed in the Madhya Pradesh Police, Border Security Force, Central Industrial Security Force, National Disaster Response Force, National Disaster Management Authority, Army or any other department of the State or Central Government who are trained in the skills of disaster management training); and
- (b) on contractual appointment.

(2) Number of persons recruited shall never exceed the number of posts mentioned in the Schedule-I.

(3) The Committee shall comprise the following officers of the Home Guards and Civil Defence Department, namely:—

- |   |                    |
|---|--------------------|
| (a) Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police/ any other officer of the Force equivalent to that rank. | —Chairman          |
| (b) Divisional Commandant of the Force  | —Member            |
| (c) District Commandant of the Force  | —Member Secretary. |

(4) The Committee shall have the right to determine the method of recruitment/deputation of members of the Force with the prior approval of the Director General of Home Guards and Civil Defence.

(5) In case of disaster emergency the Force may take officers/ employees on deputation who are working on the regular posts of other departments on the basis of their consent for such deputation.

7. **Reservation.**—(1) Reservation of physically challenged persons shall be as per the circulars issued by the Government, from time to time.

(2) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

8. **Conditions of eligibility for contractual appointment.**—After the commencement of these rules, all the appointments in the Force shall be made by the Committee and every appointment shall be made either through the mode of direct contractual recruitment or deputation. The following conditions shall be fulfilled by the candidates to be eligible for selection on contract appointment :—

- Age.—(i) At the time of selection the candidate must have attained an age of 21 years and shall not exceed an age of 45 years on the 1st January of that year [as specified in column (3) of Schedule-III].
- (ii) A relaxation of 5 years shall be given to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.



- Educational qualification.**—(iii) The candidate must possess the educational qualifications as specified in Schedule-III.
- (iv) The candidate who has been an Ex-serviceman shall be allowed to deduct his entire period of service rendered in the defence, provided that the resulting age shall not exceed 3 years of the upper age limit.
- (v) For the contractual appointment of retired Government servants after attaining the age of superannuation.—
- (a) during the entire length of service the concerning officer/employee should have been graded "good" or above, in annual confidential report;
  - (b) during his entire length of service his conduct must not have been found to be suspicious;
  - (c) he must not have been punished during last 10 years of his service;
  - (d) he must have a sound health;
  - (e) the contractual appointment shall not continue after he attains the age of 65 years;
  - (f) he shall be given consolidated salary. To determine the consolidated salary the amount of pension shall be deducted from the last salary drawn by him and the remaining amount shall be paid to him. Dearness allowance or any other allowance shall not be payable on the contractual salary.
- (vi) Consolidated salary shall be paid for the contractual service. Apart from it no other facility which are permissible to the Government servant, shall be given to the contractual appointee.
- (vii) House rent allowance shall be paid to him as per the eligibility of contractual appointment.
- (viii) Travelling allowance shall be permissible as per the rules.
- (ix) The contractual appointment may be terminated by serving one month's notice by either parties or in lieu thereof one month's salary.
- (x) The provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Conduct) Rules, 1965 shall be applicable to the persons appointed on contract basis.
- (xi) The contractual appointment shall be for the posts shown in Schedule-I and Schedule-II. All contractual appointment shall have to fulfil the educational qualifications as indicated in the column (5) of Schedule-III.
- (xii) Apart from the Government Servants, the Consolidated salary as shown in Schedule-IV shall be paid to the contractual appointees.
- (xiii) The appointment of non-gazetted officers/employees shall be made by the Committee on the recommendations of the Director General, Home Guards and Civil Defence.
- (xiv) The contractual appointment of the Gazetted Officers shall be made by the Government.
- (xv) The fixed payment to the contractual appointees shall be as indicated against such posts in the Schedule-IV.
- (xvi) The first contractual appointment in the form of direct recruitment shall be for a period of three years. After completion of three years, the Committee may extend the contractual appointment for a period of two years after reviewing the efficiency of the contractual appointee :

Provided that no contractual appointment shall be made after completion of the period five years.

- (xvii) If after completion of the initial period of three years, the work of the contractual appointee is not found to be satisfactorily, the Director General, Home Guards and Civil Defence may terminate such contractual appointment on the recommendation of the Committee.
- (xviii) The norms for filling up of the post on contractual basis from superannuated officers/employees shall be as follows:—
- (a) for ministerial cadre the maximum age shall be 65 years;
  - (b) the employees appointed after superannuation shall not be eligible for promotion;
  - (c) consolidated salary shall be paid to such employees;
  - (d) to calculate the fixed salary of a retired officer/ employees; the amount of pension shall be deducted from the payment of contractual salary and dearness allowance shall be paid thereon;
  - (e) such employees shall not be entitled for the Government accommodation;
  - (f) he shall be entitled for the leave as permissible to the employees on contract appointment;
  - (g) travelling expenses shall be permissible to him in the same manner, as he was getting before his superannuation;
  - (h) the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 shall be applicable;
  - (i) the appointment order on contractual basis shall be valid for 45 days, if the appointee does not join his duty, the same shall stand cancelled.

9. **Recruitment on deputation.**—(1) On receiving the consent of the Government Officer/Employee the recruitment through deputation shall be made on different posts.

(2) The candidate must possess the requisite qualifications as specified in Schedule-III.

(3) The concerned officer/employee shall receive the same pay and allowances on deputation as he was getting in his parent department.

10. **Norms for deputation.**—(1) The officers in the cadre of Indian Police Services such as Additional Director General of Police and Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police shall be made available to the Force. In case the officers of the rank of Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police are not available in the Madhya Pradesh Cadre, experienced officers of the Central Government/Army having appropriate experience in the disaster management work may be taken on deputation.

(2) The posts in the Force shall be filled from amongst the eligible and experienced Officers/Employees of Home Guards, different Units of Police, Central Police Organization, Army or affiliated departments of the Government by way of deputation.

(3) Home Guards fulfilling the minimum criteria of physical fitness and standards shall be taken on deputation for a period of 5 years.

(4) During this period the Home Guard shall undergo a physical efficiency test/medical examination and after passing the same he shall be continued in the Force, in the case of failure therein, he can be repatriated to his parent Unit.

(5) The Home Guard can also be repatriated to his parent department, if he is found to be ineligible fails in the training, negligent in the work assigned, physically unfit, undisciplined or for any other reason which makes him unfit to continue in the Force.

(6) The decision to take on deputation or repatriation shall be made by the Director General of Home Guards and Civil Defence on the recommendations of the Deputation Committee.

(7) The deputation of Home Guards and Company Commander or equivalent officers/employees of the Madhya Pradesh Police shall be done by the Committee constituted in this behalf as per sub-rule (3) of rule 6 .

(8) The decision to take on deputation the employees of other departments or Central Government other than the Home Guards and Madhya Pradesh Police shall be made by the Director General of Home Guards on the recommendations of the Recruitment/Deputation Committee constituted in this behalf as per sub-rule (3) of rule 6.

(9) Relaxation can be given in eligibility criterion for posting on deputation in the following special classes of persons by the Director General of Home Guards and Civil Defence on the recommendations of the Recruitment/Deputation Committee constituted in this behalf as per sub-rule (3) of rule 6 :—

- (a) The officers/employees who have worked as Instructor in the Disaster Management in Army, Border Security Force, Central Industrial Security Force, National Disaster Response Force or Commandos of any other para-military force.
- (b) The officers/employees who have outstanding eligibility and have specialised training in swimming or disaster management, flood rescue operation etc.

**11. The eligibility and process for selection of 550 Home Guard Sainik.**— (1) The age limit for the Home Guards shall be 30 years. If the sufficient number of candidates with in the age of 30 years are not available, then a relaxation of 5 years shall be given for the first and the last time :

Provided that this relaxation in age, shall not be repeated ever again.

(2) It is mandatory for the Home Guards to have an excellent service record for being considered to be taken on deputation. For this purpose the entire service record, award/punishment received, annual remarks etc., shall be scrutinized.

(3) As per the requirement, the officers/employees having special ability and those specifically trained for the purpose, may be given relaxation in the age by the Director General of Home Guards and Civil Defence, as per the recommendations of the Deputation Committee.

(4) **Physical Efficiency Test.**—The Home Guard shall have to pass the physical efficiency test as given below, namely :—

S.No.	Test	Minimum standard for selection	
		Male	Female
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 metres race	Three and half minutes	Four and half minutes
2.	Chin-up	4	—
3.	Push-up	20	20

(5) The officers/employees who wants to join the force on deputation must have the knowledge of specific fields relating to the disaster management such as swimming, diving, rowing, fire-fighting, rock climbing, para-jumping, first-aid, or skills such as electrical, carpentry, blacksmith etc. Where he does not possess the above mentioned specialized knowledge, he should be a sportsman, so that the disaster management skills may be developed in him.

**Note :** (1) The candidates who do not possess the requisite special qualifications as per sub-rule (5), but have excellent service records may also be considered for deputation. Such candidates shall subsequently be imparted basic training in the disaster management skills. However, in case any of them is unable to grasp the said skills, he shall be repatriated to his parent department.

(2) In case suitable Home Guards are available in more than required numbers, the selection shall be made on the basis of seniority. Preference shall be given to the candidates who have special skills as mentioned in sub-rule (5) above.

(3) For the purpose of these rules Home Guard Sainik refers to the Voluntary Sainik, Lance Naik, Naik and Head Constable in the Home Guard Department.

**12. Disqualification.**—The provisions of the Madhya Pradesh General Conditions of Service Rules, 1961 shall be applicable to the candidate for disqualification.

**13. Procedure for selection.**—(1) The selection Committee shall be constituted under the Chairmanship of the Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police/an officer of equivalent rank of the Force. After taking consent of the candidates, service records of the suitable candidates shall be scrutinized and physical fitness test as well as special ability test shall be conducted and their candidatures shall be verified. The result shall be approved by Headquarter of the Force and a detailed report shall be submitted to the Director General, Home Guards and Civil Defence.

(2) The qualifications specified in item no. 13 to 17 of Schedule-III shall be necessary for the Ministerial Staff.

(3) It shall be mandatory for the Drivers to have light, medium and heavy vehicle driving licence and they must have passed Driving and Mechanic Course from an Industrial Training Institute of the Government or recognised by the Government.

### PART-III

#### TRAINING AND SPECIAL RISK ALLOWANCES

**14. Training of officers/employees.**—After posting in the Force, the following training shall be mandatory (excluding ministerial staff):—

- (a) **For Home Guard**—The disaster management skill training shall be imparted to the Home Guards to achieve the requisite skills to manage a disaster. The training to the Home Guards shall be given for disaster management, operation of rescue equipment and for enhancement of skills and management capability, the training shall be imparted at Central Training Institute, Home Guard, Mangeli, District Jabalpur or in any other national level training institutes of National Disaster Response Force or Border Security Force etc.
- (b) **Other officers/employees (excluding Ministerial Staff)**—The other officers/employees shall be given a fifteen days special skilled training in the first phase under Home Guard and Civil Defence Department. The officers/employees shall be given training of one week in the second phase organized by the Disaster Management Institute, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department or in national level institutes run by National Disaster Response Force, National Disaster Management Authority, Border Security Force, or Central Industrial Security Force of the Central Government.

**15. Payment of Special Risk Allowance.**—The officers/employees posted on deputation shall be eligible for the special risk allowance as given below:—

- (a) The Home Guards shall be eligible to receive 50 percent of the total remuneration paid to them from time to time as special risk allowance. This allowance shall be paid to the Home Guards after successfully passing the requisite training as per clause (a) of sub-rule (1) of rule 14.
- (b) The officers/employees (excluding Ministerial Staff) working on deputation shall be given the special risk allowance after successfully passing the management skill training in the following two phases :—
  - (i) The special allowance at the rate of ten percent shall be paid after completing the training in the first phase and 15 percent of the said allowance shall also be paid to the officers/employees after completing the second phase of training.
  - (ii) The special allowance shall be paid only to those executive officers and employees, who are working either on deputation or on contract. The ministerial staff shall not be eligible for this special allowance.

#### PART-IV

### OTHER CONDITIONS OF SERVICE

**16. Conduct and discipline in the service.**—The Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 shall be applicable to the officer/employee of the Force.

**17. Disciplinary and Appellate Authority.**—The Chairman of the Committee shall be competent to take disciplinary action against the officers/employees of the Force as per the provisions of rule 10 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

**18. Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Executive Committee and its decision thereon, shall be final.

**19. Saving.**—Nothing contained in these rules shall affect reservation and other conditions applicable to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as provided in the orders, circulars and notifications etc. issued from time to time by the State Government in this behalf.

**20. Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

**SCHEDULE-I**

(see rule 5)

**Classification, pay scale and structure of the Force**

(A) State Disaster Emergency Response Force (SDERF) Headquarter and State Command Centres :—

S.No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Additional Director General of Police	01	IPS	67000-79000	-
2	Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police / Any other officer equivalent to that rank.	01	IPS	37400-67000	10000
3	Divisional Commandant / Any other officer equivalent to that rank.	01	Class-I Gazetted Officer.	15600-39100	7600
4	District Commandant or Any other officer equivalent to that rank.	01	Class-II Gazetted Officer.	15600-39100	5400
5	Medical Officer	01	—Do—	15600-39100	5400
6	Technical Expert	02	—Do—	15600-39100	6600
7	Company Commander / Any other officer equivalent to that rank.	02	Class-III	9300-34800	4200
8	Platoon Commander / Any other officer equivalent to that rank.	04	—Do—	9300-34800	3600
9	Head Constable / Any other officer equivalent to that rank.	08	Executive Class-III.	5200-20200	2400
10	Technical Assistant	01	—Do—	5200-20200	1900
11	Male Nurse	01	—Do—	5200-20200	1900
12	Driver	08	—Do—	5200-20200	1900
13	Head Clerk	01	Ministrical Class-III	5200-20200	3200
14	Accountant Grade-II	01	—Do—	5200-20200	2400
15	Steno	03	—Do—	5200-20200	2800
16	Computer Operator-cum-Office Assistant Grade-II.	01	—Do—	5200-20200	2100
17	Computer Operator-cum-Office Assistant Grade-III.	04	—Do—	5200-20200	1900
18	Peon / Daftari	03	Class- IV	4440-7440	1300
Total :		44	—	—	—

(B) District Units at Bhopal, Indore, Jabalpur and Gwalior :—

S.No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	District Commandant/ Equivalent	04	Class-II Gazetted Officer.	15600-39100	5400
2.	Company Commander/ Equivalent	04	Class-III	9300-34800	4200
3.	Platoon Commander/ Equivalent	16	—Do—	9300-34800	3600
4.	Head Constable/ Equivalent	24	Executive Class-III.	5200-20200	2400
5.	Technical Assistant	08	—Do—	5200-20200	1900
6.	Male Nurse	04	—Do—	5200-20200	1900
7.	Vehicle Driver	16	—Do—	5200-20200	1900
8.	Steno	04	Ministrial Class-III.	5200-20200	2800
9.	Computer Operator-cum-Office Assistant Grade-III.	08	—Do—	5200-20200	1900
Total :		88	—	—	—

SCHEDULE-II

**Method of recruitment of officers/employees through deputation/contractual appointment**

S. No.	Name of the Post	Classification	Pay Scale	Grade Pay	Feeder Cadre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director General of Police.	IPS	67000-79000	-	From IPS Cadre
2.	Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police / Equivalent.	IPS	37400-67000	10000	From IPS Cadre / Deputation From Central Police Force.
3.	Divisional Commandant / Equivalent.	Class-I Gazetted Officer.	15600-39100	7600	Home Guard and Civil Defence Department / Special Armed Force under Police Deptt./ From District Police Force Or Central Force on deputation.
4.	District Commandant or Equivalent.	Class-II Gazetted Officer.	15600-39100	5400	—Do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Medical Officer	Class-II Gazetted Officer	15600-39100	5400	Contract / Deputation from Public Health and Family Welfare Department / Medical Education Department.
6.	Technical Expert	—Do—	15600-39100	6600	Contract / Deputation from Public Works Department or any other department.
7.	Company Commander / Equivalent	Class-III	9300-34800	4200	Home Guard and Civil Defence Department / Special Armed Force under Police Deptt./ From District Police Force or Central Force on deputation
8.	Platoon Commander / Equivalent	—Do—	9300-34800	3600	—Do—
9.	Head Constable / Equivalent	Executive Class-III	5200-20200	2400	—Do—
10.	Technical Assistant	—Do—	5200-20200	1900	Contract / Deputation from Public Works Department or any other department.
11.	Male Nurse	—Do—	5200-20200	1900	Contract / Deputation from Public Health and Family Welfare Department/Medical Education Department.
12.	Driver	—Do—	5200-20200	1900	Home Guard and Civil Defence Department / Special Armed Force under Police Deptt./From District Police Force Or Central Force on deputation.
13.	Head Clerk	Ministrical Class-III	5200-20200	3200	—Do—
14.	Accountant Grade-II	—Do—	5200-20200	2400	—Do—
15.	Steno	—Do—	5200-20200	2800	—Do—
16.	Computer Operator Cum Office Assistant Grade-II	—Do—	5200-20200	2100	—Do—
17.	Computer Operator Cum Office Assistant Grade-III	—Do—	5200-20200	1900	—Do—
18.	Peon / Daftari	Class-IV	4440-7440	1300	—Do—



**SCHEDULE-III**  
**Age and Qualifications for Deputation / Contact post**

S. No.	Name of the Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Essential Educational Qualification	Other requirement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director General of Police	-	-	—	-
2.	Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police / Equivalent	-	-	—	-
3.	Divisional Commandant / Equivalent	21	-	—	—
4.	District Commandant or Equivalent	21	-	—	—
5.	Medical Officer	21	-	1. Degree of M.B.B.S. from a recognized University. 2. Valid Registration in Madhya Pradesh Medical Council.	on contract appointment
6.	Technical Expert	21	-	1. Degree of B.E. Preferences for Civil/Electrical / Mechanical Engineers 2. 5 Years Experience in Govt. /Non-Govt. Institute	on contract appointment
7.	Company Commander / Equivalent	21	-	—	on deputation
8.	Platoon Commander / Equivalent	21	-	—	on deputation
9.	Head Constable / Equivalent	21	-	—	on deputation
10.	Technical Assistant	21	-	1. 3 year Diploma or equivalent from an Institute recognized by the Government of Madhya Pradesh of Civil/Electrical / Mechanical Engineering or Equivalent	on contract appointment

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. 3 Years Experience in the field of Civil/ Electrical / Mechanical Engineering Work Or As per Conditions laid down for Contractual Posts.	on contract appointment
11.	Male Nurse	21	-	1. B.Sc. Nursing Or 2. Diploma in General Nursing and Midwifery from the Madhya Pradesh Nurses Council. 3. Working experience in Govt. /Non-Government Hospital.	on contract appointment
12.	Vehicle Driver	21	-	1. Must have passed Higher Secondary (10+2). 2. Must have valid Motor Vehicle Driving License. 3. Minimum 5 Years driving experience of Heavy Vehicle In Recognized Institute or as per conditions laid down for Contractual Posts.	on contract appointment
13.	Head Clerk	21	-	Retired from the post of Head Clerk or equivalent from any department of the State or Central Government.	may be taken till attaining the age of 65 years
14.	Accountant Grade-II	21	-	Retired from the post of Accountant or equivalent from any department of the State or Central Government.	may be taken till attaining the age of 65 years
15.	Steno	21	-	1. Must have passed Higher Secondary (10+2) with Minimum of 55%. 2. Hindi Typewriting with 30 w.p.m. and Shorthand with a speed of 80 w.p.m. from Madhya Pradesh Shorthand and Typewriting Examination Board or any Industrial Training Institute or Polytechnic of Madhya Pradesh from a recognized institute.	on contract appointment

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Computer Operator-cum-Office Assistant Grade-II	21	-	1. Graduate with minimum 55% 2. Hindi and English Tying passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typewriting Examination Board or any Industrial Training Institute of the Madhya Pradesh 3. 3 Years' experience in the field of Computer.	on contract appointment
17.	Computer Operator-cum-Office Assistant Grade-III	21	-	1. Must have passed Higher Secondary (10+2) with Minimum of 55%. 2. Hindi Typewriting with 30 w.p.m. and Shorthand with a speed of 80 w.p.m. from Madhya Pradesh Shorthand and Typewriting Examination Board or any Industrial Training Institute or Polytechnic of Madhya Pradesh from a recognized institute. 3. One year's experience in the field of Computer.	on contract appointment
18.	Peon / Daftari	21	-	1. Must have High School pass Certificate from a recognized Board. 2. One year's working experience.	on contract appointment

SCHEDULE-IV

**Fix pay of the contractual officers/employees for the Force who have completed the age of superannuation**

S.No. (1)	Name of post (2)	Fixed payment (3)
1.	Medical Officer	50000
2.	Technical Expert	50000
3.	Technical Assistant	25000
4.	Male Nurse	25000
5.	Driver	15000
6.	Head Clerk	20000
7.	Accountant Grade-II	18000
8.	Steno	18000
9.	Computer Operator-cum-Office Assistant Grade-II	18000
10.	Computer Operator-cum-Office Assistant Grade-III	15000
11.	Peon / Daftari	10000